

निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

433/2022 दावा

25.04.2022

5/2/26

215/2022 टी.आई.

25.04.2022

श्यामलाल वगैरा

बनाम

गीता वगैरा

वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थित :- श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रतिवादिया बुद्धि ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 3676 रकबा 1.11 है0 ग्राम उदेईखुर्द की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नही है एवं खातेदार को ही स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति मे दावा वादीगण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावें।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब मे वादीगण ने अंकित किया है कि भूमि ख0न0 3676 रकबा 1.11 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता नेमीचंद ने वादीगण के पिता को दिनांक 9.7.90 को 25000/- रूपये मे विक्रय कर भूमि का कब्जा वादीगण के पिता का संभला दिया एवं नेमीचंद ने अपनी माँ रामप्यारी की सहमति से उक्त भूमि का एक विक्रय पत्र वादीगण के पिता के पक्ष मे तहरीर करवा दिया। भूमि खरीदी दिनांक 9.7.90 से ही वादीगण के पिता का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का भूमि पर कोई कब्जा नही है।

प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे इस तरह का कोई कब्जा



[Handwritten signature]

(2)

उल्लेखित नहीं किया गया है जिससे की आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज किया जा सके। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादिया खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

वकील प्रतिवादिया ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुआ कहा कि वादीगण धारा 188 आर.टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया है जबकि खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ला सकता है। वादीगण भूमि के खातेदार नहीं है। वादीगण का दावा विधि विरुद्ध है। अतः आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज फरमाया जावें।

वकील वादीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादिया संख्या 2 के पिता ने वादीगण के पिता को दिनांक 9.7.90 को विक्रय कर दी थी एवं तभी से भूमि पर वादीगण के पिता एवं उसके वाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के पिता ने प्रतिवादी नेमीचंद एवं रामप्यारी के विरुद्ध सिविल न्यायालय क0ख0 गंगापुर सिटी में तकमील मुयाअदा का दावा प्रस्तुत किया था जो दिनांक 30.1.99 को वादीगण के पक्ष में डिक्री हो गया है एवं इस डिक्री की पालना हेतु इजराय सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण काबिज है तथा प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। धारा 188 आर.टी. एक्ट के तहत जमाबंदी में वर्तमान में

दर्ज खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ला सकता है। वादग्रस्त भूमि



[Handwritten signature]


(3)


वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादिया संख्या 3 के नाम खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण ने अपने वाद मे जिस इजराय का उल्लेख किया है वह वर्ष 2018 से सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे वादीगण का अभिलेख मे टाईटल नही होने के कारण वादीगण वर्तमान मे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने के लिए अधिकृत नही है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरुद्ध होने के कारण चलने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादिया संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद एवं इसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विधि से बाधित होने के कारण खारिज किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/11/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।




उप जिला कलेक्टर
(सुधार/जी.सी.सी.ए.)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर